उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग–10
संख्याः [illegible]/ XXVII(10)/E-22807/2022
देहरादूनः दिनांकः 18 मई, 2026

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No-[illegible]/ XXVII(10)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 18th May, 2026

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय– महंगाई राहत की दरों में संशोधन (01.01.2026 से प्रभावी)

Subject– Revision in the Rates of Dearness Relief (effective from 01.01.2026)

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–339242/XXVII(10)/E-22807/2022, दिनांक 27.10.2025 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01.01.2026 से 58% प्रतिशत के स्थान पर 60% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the rate of Dearness Relief from 58% to 60 % with effect from 01.01.2026. superseding the earlier rates sanctioned vide this O.M. No. 339242/XXVII(10)/E-22807/ 2022, Dated 27.10.2025, for those pensioners whose pension has been revised in accordance with the recommendations of the 7th pay Commission.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

Tr. no. 137
EDP(S)

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/ Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Digitally signed by Vadivel Shanmugam
Date: 18-05-2026 17:43:5

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव

(Dr. V. Shanmugam)
Secretary

संख्या–३१६१९९ / XXVII(10)/E-22807/2022 तद्दिनांकित।

No.३१६१९९/ XXVII(10)/E-22807/2022, dated as above.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

1- Secretary to Governor, Uttarakhand.

2. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2-All Principal Secretaries/Special Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/शहरी विकास

3-Secretary, Bureau of Public